

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I

दिनांक : 02 अप्रैल, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टर सहित)

विषय:- कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आर्थिक सहायता।

संदर्भ :- विभागीय पत्रांक प.3 (1) वित्त-1(1) आ.व्य./2004/पार्ट-1 दिनांक 27.03.2020


महोदय,

इस विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2020 देय अप्रैल, 2020 के मूल वेतन से कटौति किये जाने हेतु जारी किये गये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

अधिकारी/कर्मचारी सेवा अनुरूप वर्गीकरण	वेतन कटौति के लिए दिवस की संख्या
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी (राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 1 से 9 में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर)।	3 दिवस
राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 5 से 9 में वेतन आहरित कर रहे अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी तथा वर्कचाजर्ड कर्मचारी (पे-लेवल 1 से 4 को छोड़कर)।	2 दिवस
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत पे-लेवल 1 से 4 तक में वेतन आहरित कर रहे समस्त कर्मचारी मय वर्कचाजर्ड।	1 दिवस

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,


2/4/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.प.उ.)